

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 1-171/2023-

/पटना, दिनांक-

डा० गुजन कुमार, सह-प्राध्यापक, न्यूरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को अपने निजी खर्च पर दिनांक-01.10.2025 से 13.10.2025 तक की अवधि में विदेश (आस्ट्रेलिया) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

- 2 डा० कुमार, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से सबधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
- 3 डा० कुमार, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
- 4 डा० कुमार, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
- 5 डा० कुमार, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
- 6 डा० कुमार, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेगे।
- 7 इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।
- 8 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

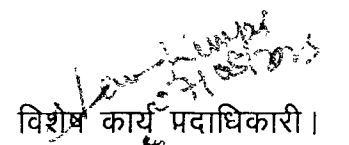
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध 1-171/2023 - 886(17)/पटना, दिनांक- 07.08.25

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ डा० गुजन कुमार, सह-प्राध्यापक, न्यूरोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।